उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एंव संसदीय कार्य विभाग
संख्या 208 / XXXVI(3) / 2011 / 58(1) / 2011
देहरादून, 04 अक्टूबर, 2011
अधिसूचना
विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक, 2011 पर दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 19 वर्ष, 2011 के रूप मं सर्व साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या.....19वर्ष 2011)

अपराधों के कतिपय वर्ग के त्वरित विचारण के लिए तथा अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति के अधिहरण (जब्ती) के लिए विशेष न्यायालय के गठन हेतु उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उततराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित होः—

अध्याय–एक
प्रारम्भिकी

1 **संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ** .

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2 **परिभाषाएं**

जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम मेंः–

(क) अधिनियम से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 अभिप्रेत है ।

(ख) प्राधिकृत पदाधिकारी से उत्तराखण्ड उच्च न्यायिक सेवा का ऐसा कोई सेवारत् अधिकारी अभिप्रेत हो, जा सत्र न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश हो या रहा हो और जिसे धारा 13 के प्रयोजनार्थ उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जायः

(ग) संहिता से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम सं0 2 वर्ष 1974) अभिप्रेत है ।

(घ) घोषणा से अपराध के सम्बन्ध में ऐसी घोषणा अभिप्रेत है, जो ऐसे अपराध के सम्बन्ध में धारा 5 के अधीन की गई हो ।

(ड) अपराध से आपराधिक अवचार का अपराध, जो अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) के अधीन दण्ड संहिता के किसी उपबन्ध के साथ संयुक्त रूप से लागू किये जाने योग्य हो, अभिप्रेत है ।

(च) विशेष न्यायालय से धारा 3 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय अभिप्रेत है ।

(छ) शब्द और पद जिनका इस नियमावली में प्रयोग किया गया है लेकिन परिभाषित नहीं किया गया है ओर जिन्हें संहिता या अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो संहिता या अधिनियम में दिए गए है ।

अध्याय– दो
विशेष न्यायालयों की स्थापना

3.वशेष न्यायालयों की स्थापना

(1)अपराध के त्वरित विचारण कि प्रयोजनार्थ राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यथायथेष्ट संख्या में यायालयों की स्थापना करेगी, जिन्हें विशेष न्यायालय कहा जायेगा।

(2)विशेष न्यायालय की अध्यक्षता उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट न्यायाधीश द्वारा की जायेगी ।

(3) ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नाम–निर्दिष्ट किए जाने के लिए अर्ह नहीं होगा, जब तक कि वह उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्य न हो और जो राज्य में सत्र न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश न हो या न रहा हो ।

4 **विशेष न्यायालयों द्वारा मामलों का संज्ञान**

विशेष न्यायालय ऐसे मामलों का संज्ञान लेगा और उनका विचारण करेगा, जो उसके समक्ष संस्थित किये जाए या धारा 10 के अधीन उसे अंतरित किये जाए ।

5 इस अधिनियम के अधीन विचार किए जाने वाले मामलों की घोषणा

(1) यदि राज्य सरकार की राय मं प्रथम दृष्टया साक्ष्य हो कि उत्तराखण्ड राज्य में लोक पद धारण करने वाले या धारण कर चुके किसी व्यक्ति, जो भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खण्ड (ग) के अर्थान्तर्गत लोक–सेवक हो, द्वारा अभिकथित अपराध किया गया हो तो राज्य सरकार ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें उसकी उपर्युक्त राय हो, उस आशय की घोषणा करेगी ।

(2) ऐसी घोषणा को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा ।

6 घोषणा का प्रभाव

(1) ऐसी घोषणा की जाने पर, संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उस अपराध की बाबत कोई अभियोजन किसी विशेष न्यायालय में ही संस्थित किया जायेगा ।

(2) जहॉ धारा 5 के अधीन की गई घोषणा उस अपराध से सम्बद्ध हो, जिसकी बाबत् पहले ही अभियोजन संस्थित किया जाा चुका हो तथा इससे सम्बन्धित कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय मं लम्बित हों, वहॉ इस अधिनियम के अनुसार, अपराध के विचारण के लिए ऐसी कार्यवाही, तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय में अन्तरित हो जायेगी ।

7 अपराधों के विचारण के सम्बन्ध में विशेष न्यायालयों की अधिकारिता

विशेष न्यायालय को , उस अपराध के किए जाने के लिए अभिकथित किसी व्यक्ति का विचारण करने की अधिकारिता होगी, जिसकी बाबत् धारा 5 के अधीन मुख्य आरोपी, षड़यंत्रकर्ता, या दुष्प्रेरक के रूप में घोषणा की गई हो तथा उन सभी का, उसके साथ संयुक्त रूप से विचारण संहिता के अनुसार एक ही विचारण में किया जा सकता है ।

8 विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियॉ

(1) ऐसे मामलों के विचारण में विशेष न्यायालय, मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट वाले मामलों के विचारण के लिए संहिता में विहित प्रक्रिया का पालन करेगा ।

(2) इस अधिनियम में स्पष्टतः यथा उपबन्धित के सिवाय, संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संख्या 49 वर्ष 1988) के उपबन्ध, जहॉ तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों के असंगत न हों, विशेष न्यायालय की कार्यवाही पर लागू होगे तथा उक्त उपबन्धों के प्रयोजनार्थ विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति लोक अभियोजक माने जाएंगें

(3) विशेष न्यायालय उसके द्वारा किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध ठहराए जाने पर, उसे उस अपराध, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध ठहराया गया हो, के लिए विधि द्वारा, जो भी दण्ड प्रधिकृत हो, उसका दण्डादेश पारित कर सकेगा ।

9 विशेष न्यायालयों के आदेशों के विरूद्ध अपील

(1)संहिता में किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय के किसी निर्णय और दण्डादेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय, नैनीताल में तथ्यों एवं विधि दोनों आधार पर, अपील की जायेगी ।

(2) यथा उपर्युक्त के सिवाय, विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दण्डादेश या आदेश के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील अथवा पुनरीक्षण संस्थित नहीं होगा ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील विशेष न्यायालय के निर्णय और दण्डादेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर की जाएगी। परन्तु यदि अभिलिखित जिए जाने वाले कारणों से उसका समाधान हो जाता हो कि अपीलार्थी को निर्धारित अवधि के भीतर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण था तो उच्च न्यायालय उक्त तीस दिनों की समाप्ति के पश्चात भी अपील स्वीकार कर सकेगा ।

10 **मामले का अन्तरण**

इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के होते हुए भी, उच्च न्यायालय नैनीताल मामलों को एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय में अन्तरित कर सकेगा ।

11 किसी विचारण को स्थगित करने के लिए विशेष न्यायालय का आबद्ध नहीं होना

(1) विशेष न्यायालय किसी विचारण को किसी प्रयोजन से तब स्थगित नहीं करेगा जब तक कि उसकी राय में तथा अभिलिखित लिए जाने वाले कारणों से, न्याय के हित में ऐसा स्थगन आवश्यक न हो ।

(2) विशेष न्यायालय मामले के विचारण को, यथास्थिति, इसके संस्थित किए जाने अथवा अंतरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर निस्तारित करने का प्रयास करेगा ।

12 अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर पीठासीन न्यायाधीश द्वारा कार्रवाई किया जाना

विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए धारा 3 के अधीन नियुक्त कोई न्यायाधीश अपने पूर्ववर्ती या पूर्ववर्तियों द्वारा अथवा अपने पूर्ववर्ती या पूर्ववर्तियों द्वारा आंशिक रूप से तथा आंशिक रूप से अपने द्वारा अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही कर सकेगा ।

अध्याय–तीन
सम्पत्ति का अधिहरण

13 **अधिहरण के लिए आवेदन**

(1) जहॉ प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर राज्य सरकार को विश्वास करने का कारण हो कि लोक (सार्वजनिक) पद धारण कर चुके या धारण कर रहे किसी व्यक्ति ने अपराध किया हो और वह लोक सेवक हो या रहा हो तो विशेष न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया हो या ना लिया हो, राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन लोक अभियोजक को प्रधिकृत पदाधिकारी के समक्ष उस धन और अन्य सम्पत्ति, जो राज्य सरकार के विश्वास में उक्त व्यक्ति द्वारा अपराध के माध्यम से अधिप्राप्त किया गया हो, के अधिहरण हेतु आवेदन करने के लिए प्रधिकृत कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदनः–

(क) एक या अधिक शपथ–पत्रों के साथ होगा जिसमें उन आधारों का उल्लेख होगा, जिन पर यह विश्वास किया गया हो कि उक्त व्यक्ति ने अपराध किया है तथा उस धन की रकम और

अन्य सम्पत्ति का मूल्य जिसके लिए यह विश्वास किया गया हो कि अपराध के माध्यम से अधिप्राप्त किया गया है, और

(ख) ऐसे किसी धन एवं अन्य सम्पत्ति की तत्समय अवस्थिति के सम्बन्ध में उपलब्ध कोई सूचना भी अन्तर्विष्ट होगी तथा यदि आवश्यक हो तो इस सन्दर्भ में सुसंगत समझी जाने वाली अन्य विशिष्टियां भी दी जाएंगी ।

14 अधिहरण के लिए नोटिस

(1) इस अधिनियम की धारा 13 के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकृत पदाधिकारी नोटिस में यथाविनिर्दिष्ठ समय जो सामान्यतः तीस दिनों से कम की नहीं होगी के अन्तर्गत आकर अपनी आय, उपार्जन या आस्तियों का वह स्रोत जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से उसने ऐसा धन या सम्पत्ति अर्जित की है, जिस साक्ष्य पर वह निर्भर करता है तथा अन्य सुसंगत सूचना और विशिष्टियां देने और यह कारण बताने का कि क्यों नहीं ऐसा सारा या कोई धन या सम्पत्ति या दोनों अपराध के माध्यम से अर्जित किया जाना धोषित किया जाय तथा क्यों नहीं उन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिहृत कर लिया जाय, से सम्बन्धित नोटिस उस व्यक्ति(इसमें इसके बाद प्रभावित व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट) को तामील करेगा, जिसके सम्बंध में आवेदन किया गया हो।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई नोटिस में किसी धन या सम्पत्ति या दोनों को,ऐसे व्यक्ति के निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारण किए जाने का विनिदेश हो, वहां नोटिस की प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति को भी तामील की जायेगी ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, प्रभावित व्यक्ति या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष अभिलिखित कराए गए साक्ष्य, सूचना और विशिष्टियां विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण में खण्डन किए जाने योग्य होगा , परन्तु यह कि ऐसा खण्डन इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा अपराधी के रोष के अवधारण और न्याय निर्णयन के विचारण तक सीमित होगा ।

15 <u>विशिष्ट मामलों में सम्पत्ति का अधिहरण</u>

(1) धारा 14 के अधीन जारी कारण पृच्छा नोटिस के स्पष्टीकरण, मेंयदि कोई हो तथा उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद और प्रभावित व्यक्ति (तथा यदि प्रभावित व्यक्ति नोटिस में विनिर्दिष्ट कोई धन या सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारण करता हो तो ऐसा अन्य व्यक्ति को भी)को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के बाद, प्राधिकृत पदाधिकारी, आदेश द्वारा अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि क्या प्रश्नगत सभी या कोई अन्य धन या सम्पत्ति विधि विरूद्व ढंग से अर्जित की गई है।

(2)जहां प्राधिकृत पदाधिकारी यह विनिर्दिष्ट करता हो कि कारण–पृच्छा नोटिस में निर्दिष्ट धन या सम्पत्ति या दोनों का कुछ अंश अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए हैं किन्तु ऐसे धन या सम्पत्ति को विनिर्दिष्टतः चिन्हित करने में समर्थ न होता हो, वहां प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा यह विनिर्दिष्ट करना विधिपूर्ण होगा कि,उसकी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार,वह धन या सम्पत्ति विधिपूर्ण होगा कि, उसकी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार वह धन या सम्पत्ति या दोनों अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए हैं और उपधारा (1) के अधीन तद्नुसार निष्कर्ष अभिलिखित करेगा ।

(3)जहां प्राधिकृत पदाधिकारी इस धारा के अधीन इस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करता हो कि कोई धन या सम्पत्ति या दोनों अपराध के माध्यम से अर्जित किया गया है,वहां वह धोषित

करेगा कि ऐसा धन या सम्पत्ति या दोनों,इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन,सभी ऋणभार से मुक्त राज्य सरकार को अधिहृत माने जायेगे, परन्तु यह कि यदि अधिहृत सम्पत्ति का बाजार मूल्य प्राधिकृत पदाधिकारी के पास जमा कर दिया जाता हो तो सम्पत्ति का अधिहरण नहीं किया जायेगा ।

(4)जहां इस अधिनियम के अधीन,किसी कम्पनी का कोई शेयर राज्य सरकार को अधिहृत किया जाता हो,वहां कम्पनी अधिनियम,1956 (अधिनियम सं0 1 वर्ष 1956) में अथवा कम्पनी के संगम अनुच्छेदों में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, कम्पनी तुरन्त ऐसे शेयर का अंतरिती के रूप में राज्य सरकार को रजिस्टर में दर्ज करेगी ।

(5)इस अध्याय के अधीन धन या सम्पत्ति या दोनों का अधिहरण (जब्ती)की प्रत्येक कार्यवाही का निष्पादन धारा 14 की उपधारा (5) के अधीन नोटिस तामील किए जाने की तारीख से छः माह की अवधि के अन्तर्गत कर दिया जायेगा ।

(6)इस धारा के अधीन पारित अधिकरण का आदेश,धारा 17 के अधीन अपील,यदि कोई हो,में पारित आदेश के अध्यधीन,अन्तिम होगा और किसी विधि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा ।

16 <u>अन्तरण का अकृत होना</u>

जहां धारा 14 के अधीन,नोटिस जारी किए जाने के बाद,उक्त और शून्य नोटिस में निर्दिष्ट किसी धन या सम्पत्ति या दोनों का किसी भी तरीके से अन्तरण किया जाता हो, वहॉ ऐसा अन्तरण, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के प्रयोजनार्थ, शून्य होगा और ऐसा धन या सम्पत्ति या दोनों धारा 15 के अधीन बाद में राज्य सरकार को अधिहृत किया जाता हो तो ऐसा धन या सम्पत्ति या दोनों का अन्तरण अकृत और शून्य माना जायेगा ।

17 <u>अपील</u>

(1) इस अध्याय के अधीन प्राधिकृत पदाधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा,जिसके विरूद्ध अपील किया जाता हो ।

(2) इस धारा के अधीन कोई अपील किए जाने पर उच्च न्यायालय ऐसे पक्षकारों को,जो वह उचित समझें,सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यथोचित आदेश पारित कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1)के अधीन की गई कोई अपील किए जाने की तारीख से अधिमानतः छः माह की अवधि के भीतर निस्तारित कर दी जाएगी और यदि किसी अपील में कोई स्थगन आदेश पारित किया जाता हो तो अपील के निस्तारण की विहित अवधि के बाद वह लागू नहीं रह जायेगी ।

18 <u>कब्जे में लेने की शक्ति</u>

(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई धन या सम्पत्ति या दोनों राज्य सरकार को अधिहृत किया गया हो,वहां सम्बद्व प्राधिकृत पदाधिकारी प्रभावित व्यक्ति के साथ–साथ किसी अन्य व्यक्ति को, जिसके कब्जे में धन या सम्पत्ति या दोनों हो,आदेश देगा कि वह आदेश तामील किए जाने के तीस दिनों के भीतर उस सम्बद्ध प्राधिकृत पदाधिकारी को किसी व्यक्ति को अभ्यर्पित कर दे अथवा उसका कब्जा दे दे,परन्तु यह कि इस निमित्त आवेदन किए जाने पर तथा अपना समाधान कर लेने पर कि प्रभावित व्यक्ति प्रश्नगत सम्पत्ति में निवास कर रहा है,प्राधिकृत पदाधिकारी उसे उससे तत्काल बेकब्जा करने के बदले ऐसे व्यक्ति को विनिर्दिष्ट

सीमित अवधि के लिए राज्य सरकार को बाजार दर पर किराये का भुगतान कर उसका कब्जा रखने की अनुमति दे सकेगा और उसके बाद वह व्यक्ति उस सम्पत्ति का कब्जा सौंप देगा ।

(2)यदि कोई व्यक्ति, उपधारा (1)के अधीन किए गए आदेश का पालन करना अस्वीकार करता हो या पालन करने में विफल रहता हो तो प्राधिकृत पदाधिकारी उस सम्पत्ति को कब्जे में ले सकेगा और तत्प्रयोजनार्थ,यथावश्यक,बल का प्रयोग कर सकेगा ।
(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्राधिकृत पदाधिकारी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी धन या सम्पत्ति या दोनों का कब्जा लेने के प्रयोजन से, सहायता के लिए किसी पुलिस पदाधिकारी की सेवा की अध्यपेक्षा कर सकेगा और ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करना, उस पदाधिकारी का आबद्धकारी कर्तव्य होगा ।

19 अधिहृत (जब्त)धन और सम्पत्ति की वापसी

जहां धारा 15 के अधीन किए गए अधिहरण आदेश को अपील में उच्च न्यायालय द्वारा उपान्तरित या निष्प्रभावी कर दिया जाता हो या जहां प्रभावित व्यक्ति विशेष न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया जाता हो वहां धन या सम्पत्ति या दोनों प्रभावित व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा और यदि किसी कारण से सम्पत्ति वापस करना सम्भव न हो तो उस व्यक्ति को इस प्रकार अधिहृत,सम्पत्ति की कीमत के साथ–साथ अधिहरण की तारीख से पांच प्रतिशत की दर से परिगणित ब्याज सहित धन का भुगतान किया जाएगा ।

अध्याय–चार
प्रकीर्ण

20 विवरण में त्रुटि के लिए नोटिस या आदेश का अविधिमान्य नहीं होना

इस अधिनियम के अधीन जारी या तामील कोई नोटिस, की गई कोई घोषणा और पारित कोई आदेश,उसमें उल्लिखित सम्पत्ति या व्यक्ति के विवरण में किसी त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं माना जाएगा, यदि यथा उल्लिखित विवरण से ऐसी सम्पत्ति या व्यक्ति की पहचान करने योग्य हो ।

21 अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना

इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसका अल्पीकरण करने वालाः और इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी लोकसेवक को ऐसी किसी कार्यवाही से, जो उसके विरूद्ध इस अधिनियम के अतिरिक्त संस्थित की जा सकती हो, विवर्जित नहीं करेगी ।

22 अन्य कार्यवाहियों का वर्जन

धारा 9 और 17 में यथा उपबन्धित के सिवाय तथा किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 15 के अधीन धन या सम्पत्ति या दोनों को अधिकृत (जब्त) किए जाने के आदेश की बाबत् किसी न्यायालय में कोई वाद या विधिक कार्यवाही चलाने योग्य नहीं होगी ।

23 सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही से

इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई संरक्षा वाद या कोई अभियोजन या कोई विधिक कार्यवाही नहीं होंगी ।

24 **नियम बनाने की शक्ति**

राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा, यथावश्यक नियमावली, यदि कोई हो, बना सकेगीं ।

25 धारा 3 के अधीन अधिसूचनाओं को पटल पर रखना

धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना तथा धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक घोषणा, जारी तथा धारा 5 के अधीन घोषणाओं किए जाने के बाद, यथाशीध्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जायेगी ।

26 अध्यारोही प्रभाव

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश 1944 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी असंगता की स्थिति में इस अधिनियम के उपबंध अभिभावी होगें ।